

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम



OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

No.Au/Admn.VI/5-96/Vol-VII

दिनांक /Date:26-11-2024

प्रतिनियुक्ति सूचना सं. 20
Deputation Notice No. 20

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (हज प्रभाग) ने हज 2025 के लिए भारत के महावाणिज्य दूतावास, जेद्दा, सऊदी अरब में हज अधिकारी के पद के लिए अस्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए पुरुष और महिला मुस्लिम अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

प्रतिनियुक्ति की विस्तृत शर्तें, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (हज प्रभाग) के दिनांक 08.11.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या HAJ-16/4/2024-HAJ-MoMA के अनुलग्नक "A" और "B" में उपलब्ध हैं। (संलग्न)

जो अधिकारी हज प्रतिनियुक्ति पर तीन या अधिक अवसरों पर जा चुके हैं, वे पात्र नहीं हैं। आवेदकों की आयु 01.01.2025 को 25 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योग्य और इच्छुक अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.haj.nic.in/deputation पर 28.11.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट की एक प्रतिलिपि आवश्यक अनुलग्नकों के साथ 06.12.2024 तक या उससे पहले अपने संबंधित प्रशासनिक अनुभागों के माध्यम से प्रशासनिक अनुभाग (लेखा परीक्षा-I) को प्रस्तुत कर सकते हैं।

Government of India, Ministry of Minority Affairs (Haj Division) has invited applications from male & female Muslim officials for temporary deputation to the Consulate General of India, Jeddah, Saudi Arabia as Haj Officers for Haj 2025.

The detailed terms and conditions of the deputation are available in the Annexure "A" & "B" of O.M No. HAJ-16/4/2024-HAJ-MoMA dated 08.11.2024 of the Ministry of Minority Affairs (Haj Division). (enclosed)

Officials who had already done Haj deputation on three or more occasions are not eligible. Applicants should not be less than 25 years and more than 45 years of age as on 01.01.2025.

Eligible and willing officials may apply online to the Ministry of Minority Affairs on the website www.haj.nic.in/deputation latest by 28.11.2024 and furnish a copy of the printout of the online application along with the required attachments to Administration Section (Audit-I) on or before 06.12.2024 through their respective administration sections.

(महालेखाकार के दिनांक 26-11-2024 के आदेशानुसार)
(Vide orders dated 26-11-2024 of Accountant General)

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.
Senior Audit Officer / Admn

प्रतिलिपि/Copy To:

1. सूचना पट्ट /Notice Board

2. वरि. ले प. अ. /प्रशा. (लेखापरीक्षा -II) / Sr.AO/Admn. (Audit- II)
3. शाखा कार्यालय /Branch Offices
4. सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/ITS (for uploading in website)
5. क्षेत्रीय दलों की सूचना के लिए सभी नियंत्रण अनुभाग/All controlling sections for information of field parties.
6. निवासी लेखापरीक्षा कार्यालय/ RAOs

दूरभाष / Telephone :0471 – 2330799

ई-मेल / e-mail : agaukeralal@cag.gov.in
वेबसाइट / Website : <https://cag.gov.in/ag1/kerala/en>

फैक्स / Fax – 0471-2331326